संख्या– /XXVII(1)/2006

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, उत्तरांचल
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून :: दिनांक: 18 जनवरी, 2006

विषयः–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में नगर पंचायतों को रो धनराशि का संक्रमण (चतुर्थ तिमाही हेतु)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 31 नगरपंचायतों को सलंग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 की चतुर्थ किश्त हेतु रू0 12834000.00 (रू0 एक करोड़ अठठाईस लाख चौतीस हजार मात्र) की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(1) नगर पंचायतों को कुल देय वार्षिक धनराशि से 30 प्रतिशत अंश रोका गया है जो प्रतिवेदन के प्रस्तर 21.5 के अन्तर्गत प्रस्तर 22.5 व 22.6 के अनुसार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर अवमुक्त किया जायेगा। शेष 70 प्रतिशत अंश को 4 समान तिमाही किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा। तद्नुसार चतुर्थ किश्त अवमुक्त की जा रही हैं।

(2) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए संक्रमित की गई है। इस धनराशि से व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(3) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ठ शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी /वित्त नियंत्रक /मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3–लेखा परीक्षा शुल्क की पंचायतों पर अवशेष शुल्क को 3 समान किश्तों में सम्बंधित निकाय को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से काट कर लेखा परीक्षा निदेशालय को भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार द्वितीय किश्त के रूप में संलग्नक के कालम संख्या–4 में काटी गई धनराशि दर्शायी गई है।

4–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगरपंचायतें/ नोटीफाइट एरिया/ कमेटी आदि–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00 –20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव

संख्याः– 66 (1)/XXVII(1)/2006 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल , देहरादून।
2– सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल ।
3– निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, निदेशालय, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5– निदेशक, कोषागार, वित्त सेवायें, देहरादून।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तरांचल।
7– विभागीय अधिकारी / वित्त नियंत्रक/ मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकरी जैसी भी स्थिति हो।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
9– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

18/1/2006

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या–66 / XXVII (1) / 2006, दिनांक 18 जनवरी, 2006 का संलग्नक।

नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रथम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम चतुर्थ किश्त हेतु संक्रमित धनराशि का विवरण

(धनराशि हजार में)

क्र० सं०	नगर पंचायत का नाम/जनपद	चतुर्थ किश्त हेतु आवंटित धनराशि
1	2	3
1	बड़कोट	4
2	गंगोत्री	
3	बद्रीनाथ	
4	केदारनाथ	
5	नन्दप्रयाग	3
6	कर्णप्रयाग	4
7	रूद्रप्रयाग	6
8	गोचर	4
9	मुनिकीरेती	4
10	कीर्तिनगर	3
11	देवप्रयाग	3
12	चम्बा	4
13	डोईवाला	4
14	हरबर्टपुर	5
15	कालाढूंगी	3
16	भीमताल	3
17	लालकुंआ	3
18	दिनेशपुर	4
19	सुल्तानपुर	4
20	केलाखेड़ा	4
21	शक्तिगढ़	
22	महुआडाबरा	
23	महुआखेड़ागंज	4
24	द्वाराहाट	
25	डीडीहाट	
26	धारचूला	
27	चम्पावत	
28	लोहाघाट	
29	झबरेड़ा	
30	लण्डोरा	
31	लक्सर	
	योगः–	12

(रु० एक करोड़ अट्ठाईस लाख बौतीस हजार मात्र)

18/1/2

(एल०एम० पन्त)
अपर सचिव